

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

सि०न० - 22 / 2022

अनुदान :-

1. अमरसिंह पुत्र नथूराम जाति जाट निवारी साहुवाला त० भादरा।
2. पालाराम पुत्र नथूराम जाति जाट निवारी साहुवाला त० भादरा।
3. लिलूराम पुत्र नथूराम जाति जाट निवारी साहुवाला त० भादरा।

वादीगण

बनाम्

1. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 बीबीएम के पत्थर सं० 487 / 423 खाता सं० 113 / 111 के मु०न० 89 के किला न० 2 ता 9, 12 / 1, 12 / 2, 13 / 1, 13 / 2, 14 / 1, 14 / 2, 15 / 1, 15 / 2, 16 ता 19, 22 ता 25 की 5.0080है० राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है में से बारानी कलमजन किया जाकर उक्त किलाजात नहसी दर्ज किये जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

यह पर्व डिक्री आज दिनांक ०९/०८/२३..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
ब्रह्मपुरा, अधिशाषी पीठासीन अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़